

मराठा कोटा

प्रलिस के लयल:

सामाजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडल वरुग (SEBC), [मराठा आरकषण](#), वरुष 2018 का 102वाँ संशुधन अधनलयन

मेनुस के लयल:

राषुटुरीय पछलडल वरुग आरुग, आरकषण से संबुधतल संवैधानकल प्रलवधलन

[सुरुत: इंडयलन एकुसप्रसेस](#)

करुचल में करुयो?

हलल ही में महलरलषुटुर में [मराठा समुदलड](#) दवलरल एक बलर फरल से शैक्षणकल संसुथलनूँ और सरकरलरी नयुकरुतलयीँ में आरकषण की मलंग की गई है।

मराठा आरकषण की मलंग कल इतहलस और सुथतलल:

इतहलस:

- मराठा कलतलयीँ कल एक समूह है, कलसमें कलसलनूँ और कुरमीदलरूँ के अलवल अनूय वूयकरुतल शलमलल हैं, कुओ रलकुष कल आबलदी कल लगभग 33% है।
 - हललूँकल अधकलंश मरलठल, मरलठी बलषी है, कतुल सभूी मरलठी बलषी वूयकरुतल मरलठल समुदलड से नहूी है।
 - ऐतहलसकल रूप से उनकी पहकुन बडूी भूमकलकुत वलली 'युदुधल' कलतल के रूप में की गई है।
 - हललूँकल पछलले कुकुष वरुषूँ में भूमकल वलखलंडन, कृषल संकट, बेरुकुगलरी एवं शैक्षणकल अवसरूँ की कमी कुैसे करकुओ के करकुण कइ मरलठल लुगूँ कुओ सामलजकल-आरुथकल पछलडेपन कल सलमनल करनल पडल है। यह समुदलड अभी भी ग्रलमीण अरुथवूयवसुथल में महतुतुवपूरुण भूमकल नभलतल है।
 - इसललललल वे सामलजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वरुग (SEBC) की शुरेणी के तहत सरकरलरी नयुकरुतलयीँ तथल शैक्षणकल संसुथलनूँ में आरकषण की मलंग कर रहे हैं।

मराठा आरकषण मलंग की सुथतलल:

- वरुष 2017:
 - सेवलनवूतुत नूयललधूीश एन कुी कलकलवलड की अधूयकषुतल वलले 11 सदसूयीय आरुग ने सफलरलशल की कल मरलठूँ कुओ [सलमलजकल और शैक्षणकल रूप से पछलडे वरुग \(SEBC\)](#) के तहत आरकषण दललल कलनल कलहललल।
- वरुष 2018:
 - महलरलषुटुर वधलनसभल ने मरलठल समुदलड के लललल 16% आरकषण कल प्रसुतलव वललल वधलयक पलरतल कललल।
- वरुष 2018:
 - बूँमबे उकुुक नूयललडल ने आरकषण कुओ बरकरलर रखते हुए कलहल कल इसे 16% के बकललशकुषल में 12% और नूकरलयीँ में 13% कललल कलनल कलहललल।
- वरुष 2020:
 - भलरत के [सरुवुकुुक नूयललडल](#) ने इसके करूयलनूवयन पर रोक लगल दी और मलमले कुओ एक बडूी पीठ के लललल [भलरत के मुखूय नूयललधूीश](#) के पलस भेक दललल।
- वरुष 2021:
 - सरुवुकुुक नूयललडल ने वरुष 1992 में नरुधलरतल कुल आरकषण पर 50% की सीमल कल हवललल देते हुए वरुष 2021 में मरलठल आरकषण कुओ रदुद कर दललल।
 - 12% एवं 13% (करुमश: शकुषल और नूकरलयीँ में) के मरलठल आरकषण ने कुल आरकषण सीमल कुओ करुमश: 64% और 65% तक बडुल दललल थल।
 - [इंदरलल सलहनी फूसले, 1992](#) में सरुवुकुुक नूयललडल ने सुपषुटु रूप से कलहल थल कल आरकषण की सीमल 50% हुुगी केवल कुकुष असलमलनुय और असलधलरण सुथतलयीँ में दूर-दरलक के कषेतुरूँ की आबलदी कुओ मुखूयधलरल में ललने के लललल आरकषण में 50% की कुुट

- दी जा सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा सीमा का उल्लंघन करने की कोई "असाधारण परिस्थिति" या "असाधारण स्थिति" नहीं थी।
 - इसके अलावा न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य के पास किसी समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार, केवल राष्ट्रपति ही सामाजिक और पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में बदलाव कर सकता है, राज्य केवल "सुझाव" दे सकते हैं।
 - बेंच ने सर्वसम्मति से 102वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, लेकिन इस सवाल पर मतभेद था कि क्या इससे SEBC की पहचान करने की राज्यों की शक्ति प्रभावित होगी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मराठा समुदाय के लिये अलग आरक्षण अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (कानून की उचित प्रक्रिया) का उल्लंघन करता है।
 - वर्ष 2022:
 - नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10% कोटा बनाए रखने के बाद राज्य सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य EWS कोटा से लाभ उठा सकते हैं।

2018 का 102वाँ संशोधन अधिनियम:

- इसने संविधान में अनुच्छेद 338B और 342A प्रस्तुत किया।
- अनुच्छेद 338B नव स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है।
- अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को नरिदष्टि करने का अधिकार देता है।
 - इसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ देने हेतु सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिये किसी समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करना संसद का कार्य है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/maratha-quota-1>

